

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

अभिप्रायी व हस्तीलदार डूंगला भगवान, रूपा पिता किशना
किस्म मुकदमा प्र. पत्र नं. 911 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इत्त हुकम की तारीख की तामील में जारी हुए
24/4/19	<p>तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर अवगत कराया कि ग्राम नंगावली की जमाबन्दी सम्बत् 2053 से 2056 में खाता संख्या 288 में आराजी नम्बर 1587 रकबा 1 बीघा 1591 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा श्री भगवान, रूपा पिता किशना 1/4 डाली, रामी पिता केला 1/4 हजारी पिता मोती मु0 सलु बेवा मोती 1/4 छोगा पिता गोदा 1/4 गाडरी सा. देह के नाम दर्ज है।</p> <p>नामान्तरण संख्या 1311 दिनांक 01.07.1997 द्वारा बिकाव से हिस्सा 1/4 हजारी पिता मोती सलु बेवा मोती का श्री उदा पिता ऊंकार कुल्मी सा. भूतखेड़ा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।</p> <p>नामान्तरण संख्या 1870 दिनांक 18.08.1997 के द्वारा बिकाव से आराजी नम्बर 1587, 1591 में हिस्सा 1/4 उदा पिता ऊंकार कुल्मी का भगवान, रूपा पिता किशना 1/8 छोगा पिता गोदा 1/8 गाडरी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।</p> <p>नामान्तरण संख्या 2074 दिनांक 05.09.2002 के द्वारा भगवान पिता किशना की विरासत से हिस्सा 3/16 श्री उदयलाल, भेरूलाल, देऊ पिता भगवान मु0 सवली बेवा भगवान के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।</p> <p>नामान्तरण संख्या 2313 दिनांक 13.02.2007 बिकाव से हिस्सा रूपा पिता किशना गाडरी का गोपीदेवी पत्नि मदनलाल जयसवाल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।</p> <p>नामान्तरण संख्या 2479 दिनांक 20.05.2009 विरासत से छोगा पिता गोदा गाडरी का हिस्सा श्यामु, बेनकी, माया, लीला, जसु पिता छोगा, भानी डाली बेवा छोगा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।</p> <p>जबकि जमाबन्दी रोटेशन सवत 2057 से 2060 की लिखायी में नवीन खाता संख्या 325 में नां.सं. 1811 एवं 1870 का अमल कर आराजी नं. 1587, 1591 किता 2 रकबा 2 बिघा 7 बिस्वा श्री भगवान, रूपा पिता किशना 3/4 डाली रामी पिता केला 1/4 छोगा पिता गोदा 3/4 गाडरी उदा पिता ऊंकार कुल्मी 1/4 होकर कायम हुआ। जबकि नामान्तरण करणों के अमल करने पर खाता भगवान, रूपा पिता किशना 3/8 डाली, रामी पिता केला 1/4 छोगा पिता गोदा 3/8 गाडरी सा देह के नाम दर्ज होना चाहिए था. जो त्रुटि वंश हिस्सा 3/8, -3/8 के बजाय खाते में 3/4, -3/4 दर्ज हुआ है। तथा उदा पिता ऊंकार कुल्मी का हिस्सा 1/4 विक्रय होने के बाद भी जमाबन्दी में पुनः अंकित हो गया है जो गलत दर्ज हुआ है। नकल जमाबन्दी नामान्तरण के रिकॉर्ड अनुसार आराजी नं. 1587, 1591 किता 2 रकबा 2 बिघा 7 बिस्वा श्री उदयलाल भेरूलाल पिता भगवान देऊ पुत्री भगवान सवली बेवा भगवान 3/16 श्यामु, बेनकी माया लीला जसु पिता छोगा भानी, डाली बेवा छोगा</p>	

3/8 डाली, रामी पिता केला 1/4 गाडरी गोपी देवी पत्नि मदनलाल जयसवाल 3/16 सा दे के नाम हिस्सा दर्ज करने की दुरुस्ती की अनुमति चाही गई।

तहसीदार डूंगला प्रेषित प्रस्ताव, अभिशंषा व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण प्रस्ताव राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निस्तारण हेतु सही पाया गया है। अतः ग्राम नंगावली के नकल जमाबन्दी खाता संख्या 27 सम्वत् 2073-2076 में वर्णित श्री उदयलाल भेरूलाल पिता भगवान देऊ पुत्री भगवान सवली बेवा भगवान 3/16 श्यामु, बेनकी माया लीला जसु पिता छोगा भानी, डाली बेवा छोगा 3/8 डाली, रामी पिता केला 1/4 गाडरी गोपी देवी पत्नि मदनलाल जयसवाल 3/16 सा दे के नाम हिस्सा दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यदि किसी अपीलेट न्यायालय/सिविल न्यायालय का स्थगन न हो तो इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावें। इसी आश्य का आदेश पृथक से जारी हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगला